न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 62/2016

1. श्री मांगू
2. श्री लाडू

पुत्रगण श्री गुल्ला जाति रावत निवासीगण ग्राम भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 03.02.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के राजस्व ग्राम भवानीखेड़ा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 37/35, 64 में अंकित किता 19 कुल रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के सह खातेदार श्री रामा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर की मृत्यु पश्चात् तहसीलदार नसीराबाद द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भवानीखेड़ा द्वार प्रमाणित सजरे के आधार पर मृतक की पत्नी श्रीमति सायरी व श्रीमति राधा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 03.03.2005 को स्वीकृत कर दिया। अपीलान्टस ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत इसी नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 03.03.2005 से अंसतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट जरिये वकील उपस्थित हुए। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 37/35, 64 कुल किता 19

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी श्री गुल्ला पुत्र श्री दौला जाति रावत खियांत साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज है। श्री गुल्ला की मृत्यु पश्चात् मृतक की विरासत उसके वारिसान श्री रामा, श्री लाडू व श्री मांगू पुत्रगण श्री गुल्ला के नाम स्वीकृत की गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि श्री रामा पुत्र श्री गुल्ला की वर्ष 2000 में अविवाहित रहते हुए मृत्यु हो गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के विधि विरूद्व तरीके से विवादित भूमि में मृतक श्री रामा के हिस्से की भूमि का वर्किंग जमाबन्दी में जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण के सायरी व राधा के नाम अंकन कर दिया जो कभी भी मृतक श्री रामा की पत्नियां नहीं थी क्योंकि श्री रामा की अविवाहित रहते हुए मृत्यु हुई थी। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे तथा बतौर वारिस अपीलान्टस के पक्ष में मृतक की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमि का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा उन महिलाओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिनके पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। इसके बावजूद न्यायहित में अपील अपीलान्ट पुर्नविचार हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सहखातेदार श्री रामा पुत्र श्री गुल्ला की वर्ष 2000 में अविवाहित रहते हुए मृत्यु हो गई थी, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किए तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। हालांकि अपीलान्ट्स द्वारा उन महिलाओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिनके पक्ष में आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकि नियमानुसार उन्हें अपील में रेस्पोन्डेन्ट की हैसियत से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इसके बावजूद न्यायहित में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 03.03.2005 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मृतक के वारिसान की पूर्ण रूप से जांच कर समस्त हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 09.02.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अपर अजमेर, अजमेर

Scanned by CamScanner